Shrikant Shastree, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

पत्रांक : **KGBV/52/2019-20/** 6918 **दिनांक :** 8 / 11 / 2021

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सभी जिले।

विषय : **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में नियोजन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका के संबंध में।**

प्रसंग : कार्यालय पत्र सं॰–KGBV/41/2008-09/978, दिनांक–06.02.2019 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक–20.10.2021 को आहूत 87 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्मिकों के नियोजन हेतु पूर्व निर्गत मार्गदर्शिका–2018 में कतिपय संशोधन किये गये है, जिसमें निम्न बिन्दु प्रमुख है :–

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय टाईप III (कक्षा VI से कक्षा XII) में विषय शिक्षण हेतु 05 के स्थान पर 06 अंशकालिक शिक्षिकाओं के पद स्वीकृत किये गये थे, परन्तु छठे पद हेतु विषय निर्धारित नहीं किये गये थे। राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा छठे पद को सामाजिक विज्ञान संवर्ग के अंतर्गत रखने का निर्णय लिया गया है।
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय टाईप–IV (कक्षा IX से कक्षा XII) में पूर्व में प्रभारी वार्डेन के एक पद स्वीकृत थे, जिनपर संबधित प्रखंड के उच्च विद्यालय की एक शिक्षिका को प्रतिनियोजन पर रखा जाता था। साथ ही अंशकालिक शिक्षिका के कोई पद स्वीकृत नहीं थे तथा चौकीदार के मात्र एक पद स्वीकृत थे, जिस कारण दिन में छात्रावास में किसी चौकीदार की सेवा उपलब्ध नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में टाईप I/III की भॉति टाईप IV हेतु भी पूर्णकालिक वार्डेन–सह–शिक्षिका के एक पद, विषय शिक्षण हेतु अंशकालिक शिक्षिका के दो पद तथा चौकीदार के दो पदो की स्वीकृति प्राप्त हुई है। समिति के द्वारा अंशकालिक शिक्षिका के दो पदों में से एक पद विज्ञान एवं गणित तथा दूसरा पद सामाजिक विज्ञान हेतु निर्धारित किया गया है, जबकि चौकीदार के दो पदो में से चक्रानुसार एक कर्मी दिन में तथा दूसरा कर्मी रात्रि में कार्यरत रहेंगे। तदनुसार अब इन नवसृजित पदों का भी रोस्टर निर्माण एवं नियोजन की प्रक्रिया की जानी है।
3. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय टाईप I/III एवं टाईप IV में कार्मिको हेतु अलग–अलग वेतन सीमा स्वीकृत थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत वेतन राशि के आलोक में अब सभी टाईप के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में संदर्भित पदो का वेतन एकसमान होगा।

Shrikant Shastree, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

अतः अनुरोध है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप संशोधित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय नियोजन मार्गदर्शिका–2021 (प्रति संलग्न) के आलोक में जिले में कर्मियों के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु अग्रेतर कार्रवाई अविलम्ब प्रारंभ की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

5/11/21

(श्रीकान्त शास्त्री)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः KGBV/52/2019-20/ दिनांक : ..../11/2021
प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी, सभी जिले को सूचनार्थ प्रेषित।

5/11/21

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः KGBV/52/2019-20/ दिनांक : ..../11/2021
प्रतिलिपिः क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

5/11/21

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः KGBV/52/2019-20/ दिनांक : ..../11/2021
प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA)/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/लेखा पदाधिकारी/जिला जेन्डर समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, सभी जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/11/21

राज्य परियोजना निदेशक

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कर्मियों के नियोजन हेतु

मार्गदर्शिका – 2021

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत कक्षा–VI से कक्षा–VIII कुल 535 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV) स्वीकृत हैं, जिनमें नामांकित बालिकाएँ समीपवर्ती मध्य विद्यालय में पठन–पाठन करती हैं । साथ हीं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के तहत कक्षा–IX से कक्षा–XII तक बालिकाओं हेतु कुल 425 बालिका छात्रावास (GH) स्वीकृत हैं, जिनमें नामांकित बालिकाएँ समीपवर्ती उच्च विद्यालय में पठन–पाठन करती हैं । वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्रियान्वित **"समग्र शिक्षा"** के तहत सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को कक्षा–VIII से बढ़ाकर कक्षा–XII तक उत्क्रमित किया जाना है। इसके अंतर्गत वैसे कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों को एकीकृत/उत्क्रमित माना गया है जो एक हीं जगह स्थित हैं । जो बालिका छात्रावास पूर्व निर्मित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय से दूर स्थित हैं, उन्हें अलग इकाई मानते हुए कक्षा–IX से कक्षा–XII तक के छात्रावास के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है । तदनुसार अब राज्य में तीन प्रकार के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हैः–

(1) KGBV टाईप I – कक्षा–VI से कक्षा–VIII (क्षमता 100 बालिका)
(2) KGBV टाईप III – कक्षा–VI से कक्षा–XII (क्षमता 200 बालिका)
(3) KGBV टाईप IV – कक्षा–IX से कक्षा–XII (क्षमता 100 बालिका)

भारत सरकार के द्वारा विभिन्न टाईप के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में मानव बल की स्वीकृत संख्या निम्नवत है :–

क्रम	पदनाम	KGBV टाईप I	KGBV टाईप III	KGBV टाईप IV
1	वार्डेन–सह–शिक्षिका	1	1	1
2	अंशकालिक शिक्षिका	3	6	2
3	लेखापाल–सह–सहायक	1	1	0 (संबंधित प्रखंड के टाईप–I के हीं लेखापाल कार्य करेंगे ।)
4	अनुसेवक	1	2	0
5	रात्रि प्रहरी/चौकीदार	1	2	2
6	मुख्य रसोईया	1	1	1
7	सहायक रसोईया	2	4	2
	कुल	**10**	**17**	**8**

1. पदों की विवरणी एवं अहर्त्ता

राज्य के प्रत्येक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय हेतु शिक्षिका/अन्य कर्मियों के निम्न पद निर्धारित हैं :–

क्र सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	बांछनीय योग्यता	आयु (वर्ष)	लिंग	पदों की निर्धारित संख्या			मानदेय (रू. प्रति माह)*
						टाईप –I	टाईप –III	टाईप –IV	
1	वार्डेन–सह–शिक्षिका	स्नातक (किसी भी विषय में)	प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण/2 वर्षीय D.El.Ed./बी0 एड0, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं स्नातकोत्तर	न्यूनतम आयु–21 वर्ष तथा अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरूष)–37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित (महिला)–40 वर्ष, अनु0जाति/जनजाति–42 वर्ष	महिला	1	1	1	15000
2	अंशकालिक शिक्षिका (भाषा)	स्नातक (हिन्दी/अंग्रेजी विषय में)			महिला	1	1	0	13000
3	अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित)	स्नातक (रसायन/भौतिकी के साथ गणित या जीवविज्ञान)			महिला	1	2	1	13000
4	अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान)	स्नातक (इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान में किसी दो विषय में उत्तीर्ण, जिनमें एक विषय अनिवार्यतः इतिहास/भूगोल या गृहविज्ञान/मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र, हो।)			महिला	1	2	1	13000
5	लेखापाल– सह –सहायक	बी0 कॉम0	....		महिला/पुरुष	1	1	0	8500
6	अनुसेवक	मैट्रिक उत्तीर्ण	....		महिला	1	2	0	6500
7	चौकीदार/रात्रि प्रहरी	मैट्रिक उत्तीर्ण	....		महिला/पुरुष	1	2	2	6500
8	मुख्य रसोईया	पंचम/मैट्रिक उत्तीर्ण	....		महिला	1	1	1	6500
9	सहायक रसोईया	पंचम/मैट्रिक उत्तीर्ण	....		महिला	2	4	2	6000

* विहित प्रक्रिया से नियोजित कार्मिकों को नियमानुसार ई0पी0एफ0 की सुविधा देय है ।

i. KGBV टाईप III की स्थिति में अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित) की दो शिक्षिकाओं में एक गणित एवं दूसरी जीवविज्ञान की होंगी ।

ii. KGBV टाईप III की स्थिति में अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान) की तीन शिक्षिकाओं में एक इतिहास/भूगोल, दूसरी गृह विज्ञान/मनोविज्ञान तथा तीसरी अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र की होंगी ।

iii. वार्डेन–सह–शिक्षिका पद पर अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

iv. नियोजन वर्ष की पहली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु की गणना की जाएगी।

v. अनुसेवक/रात्रि प्रहरी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है ।

2. नियोजन समिति

जिले के सभी कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु 5–सदस्यीय जिला नियोजन समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :–

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी – अध्यक्ष
2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) – सदस्य सचिव
3. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) – सदस्य
4. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित दो पदाधिकारी – सदस्य

जिला पदाधिकारी द्वारा नामित दो पदाधिकारियों में एक सदस्य अनु0 जाति/जनजाति तथा दूसरी सदस्य महिला होंगी।

3. आरक्षण

कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में कर्मियों के नियोजन में समाज के कमजोर वर्गों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में प्रभावी आरक्षण नीति लागू होगा तथा निम्न अनुदेशों का पालन किया जाएगा :–

1. राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर नीति के संबंध में निर्गत नियमावली का पालन किया जाएगा।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–62, दिनांक–05.01.2007 के आलोक में कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार समानान्तर आरक्षण का लाभ देय होगा ।
3. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में स्वीकृत सभी पूर्णकालिक पदों यथा–(1) वार्डेन–सह–शिक्षिका, (2) अंशकालिक शिक्षिका (भाषा), (3) अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित), (4) अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान), (5) लेखापाल–सह–सहायक, (6) अनुसेवक, (7) रात्रि प्रहरी/चौकीदार, (8) मुख्य रसोईया, (9) सहायक रसोईया के लिए अलग–अलग आरक्षण रोस्टर निर्धारित करते हुए आरक्षण रोस्टर पंजी एवं अन्य अभिलेख संधारित किए जाएंगे।
4. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के कर्मियों के रोस्टर का अनुमोदन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन प्रक्रिया

5–सदस्यीय जिला नियोजन समिति कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में निम्न प्रक्रिया के अनुसार योग्य एवं सक्षम उम्मीदवारों का चयन करेंगी :–

(क) आवेदन :–

i. आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य के निवासी होंगे ।

ii. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों पर नियोजन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा कम से कम एक राज्यस्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्र में महत्वपूर्ण विवरणी/सूचना के साथ विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

iii. प्रकाशित विज्ञापन, आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र का फॉर्मेट तथा विस्तृत विवरणी देवनागरी लिपि में जिले के एन0आई0सी0 तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाएगी तथा जिला कार्यालय के सूचनापट्ट पर चिपकाया जाएगा।

iv. योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा विहित प्रपत्र (समय–समय पर विभाग/परिषद द्वारा जारी) में आवेदन पत्र जिला नियोजन समिति के सदस्य–सचिव के यहाँ केवल स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से दिया जाएगा ।

v. अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क के रूप में रू 200/– की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ली जाएगी, जो वापस नहीं की जाएगी । अनु0 जाति/जनजाति/निशःक्त अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं ली जाएगी। बैंक ड्राफ्ट " BEP (SSA) .... (जिला का नाम) " के नाम से देय होगा ।

vi. प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विहित प्रपत्र में सूचनाएँ कम्प्यूटरीकृत की जाएगी ।

vii. जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा सभी वैध अभ्यर्थियों की पदवार सूची तैयार की जाएगी।

viii. स्क्रूटनी के उपरान्त निरस्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची कारण सहित जिले के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी एवं जिला स्तरीय कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा 10 दिनों के अंदर उन अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त की जाएगी । चयन समिति द्वारा उन आपत्तियों की समीक्षा करते हुए वैध अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा ।

ix. सभी अभ्यर्थियों को संदर्भित पदों हेतु सभी विज्ञापित प्रखंडों एवं के0जी0बी0वी0 के टाईप के विकल्प प्राथमिकता के क्रमानुसार आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा ।

(ख) परीक्षा का आयोजन :–

i. वार्डेन–सह–शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु 100 अंको की लिखित परीक्षा जिला स्तर पर एक ही दिन एक ही पाली में आयोजित की जाएगी।

इन पदों के लिए अंतर्वीक्षा नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

ii. अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया हेतु 100 अंकों की अंतर्वीक्षा ली जाएगी। इन पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

iii. परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों की तैयारी, भंडारण, वितरण एवं मूल्यांकन की पूरी कारवाई जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समिति के परामर्श से की जाएगी।

iv. प्रश्न पत्र में 2–2 अंको के 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों में चार–चार विकल्प होंगे । सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे ।

v. वार्डेन / शिक्षिका / लेखापाल हेतु आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप निम्नवत् होंगेः–

वार्डेन–सह–शिक्षिका	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति (General Knowledge & General Aptitude)–50 अंक, गणित–10 अंक, भाषा–10 अंक, इतिहास–10 अंक, भूगोल–10 अंक, विज्ञान–10 अंक।
अंशकालिक शिक्षिका (भाषा)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति –50 अंक, गणित–10 अंक, समाज विज्ञान–10 अंक, भाषा–30 अंक।
अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति –50 अंक, गणित–10 अंक, जीवविज्ञान–10 अंक, भाषा–10 अंक, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र–20 अंक ।
अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति –50 अंक, गणित–10 अंक, भाषा–10 अंक, इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान एवं राजनीति शास्त्र–30 अंक।
लेखापाल–सह–सहायक	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति –50 अंक, गणित–10 अंक, भाषा–10 अंक, लेखा–30 अंक।

vi. लिखित परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी ।

vii. लिखित परीक्षा यथासंभव ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर ली जाएगी। परीक्षोपरांत परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र वापस ले लिए जाएंगे।

viii. परीक्षार्थी परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे । परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार का नोट–बुक, चिट–पुर्जा या मोबाईल फोन साथ नहीं लायेंगे । परीक्षा केन्द्र परिसर में इन्हें ले जाना निषेध है ।

ix. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कार्य में संलग्न केन्द्राधीक्षक एवं प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को छोड़ वीक्षक एवं कर्मचारी भी अपना मोबाइल फोन परीक्षा केन्द्र पर नहीं लायेंगे ।

x. कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न करने हेतु आवश्यक कार्रवाई के तहत पूरी परीक्षा अवधि तक प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की वीडियोग्राफी करायी जाएगी । इससे कदाचार में लिप्त परीक्षार्थियों की पहचान कर उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।

xi. उतर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हर हाल में तीन दिनों के अंदर करवा लिया जाएगा। अतएव उक्त हेतु जिला नियोजन समिति के द्वारा पूर्व तैयारी कर ली जाएगी ।

(ग) मेधा सूची निर्माण :–

i. अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी, उन्हें पैनल में उपर रखा जाएगा । समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ड्रॉ ऑफ लॉट के द्वारा पैनल में उपर स्थान निर्धारित होगा ।

ii. परीक्षा/अंतर्वीक्षा के उपरान्त तैयार मेधासूची को सदस्य सचिव के द्वारा नियोजन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाएगा । अनुमोदित सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लिए जायेंगे ।

iii. वार्डेन/शिक्षिका के प्रत्येक पद विशेष हेतु चार अलग–अलग पैनल तैयार किए जायेंगे – (क) प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण/2 वर्षीय D. El. Ed./बी0 एड0 एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, (ख) शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी (ग) प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण/2 वर्षीय D. El. Ed./बी0 एड0, परन्तु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं, तथा (घ) बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी । उपलब्धता की स्थिति में सर्वप्रथम बिन्दू (क), उसके बाद बिन्दू (ख), उसके बाद बिन्दू (ग) तथा उसके बाद बिन्दू (घ) पर उल्लिखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, चाहे समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक हीं क्यों न प्राप्त हों ।

iv. मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अलग मेधा सूची बनायी जाएगी। मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में हीं पंचम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, चाहे समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक हीं क्यों न प्राप्त हों ।

v. लेखापाल के पद हेतु महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की अलग–अलग मेधा सूची तैयार की जाएगी । महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में हीं इस पद पर पुरूष अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, चाहे समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक हीं क्यों न प्राप्त हों ।

vi. पदवार समेकित मेधा सूची से अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन में क्रमानुसार उपलब्ध विकल्प वाले प्रखंड एवं के0जी0बी0वी0 के टाईप आवंटित किए जायेंगे, जो अपरिवर्तनीय होंगे ।

vii. विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु तैयार पैनल जिला नियोजन समिति के अनुमोदन की तिथि से मात्र एक साल के लिए वैध होगी ।

(घ) नियोजन पत्र :–

i. चयनित अभ्यर्थियों को प्रखंड आवंटन के उपरान्त जिला नियोजन समिति के सदस्य–सचिव के द्वारा चयन सूची संबंधित प्रखंडों को उपलब्ध की जाएगी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निबंधित डाक से उन्हें नियोजन पत्र भेजा जाएगा । योगदान हेतु अधिकतम 30 दिनों का समय दिया जाएगा जिसका उल्लेख नियोजन पत्र में होगा ।

ii. जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जॉच करायी जाएगी । प्रमाण पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी द्वारा नियोजन रद्द कर दिया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ।

iii. किसी कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में योगदान के उपरान्त कर्मियों का स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा ।

iv. नियोजन संबंधी पूरी कार्यवाही की घटनोत्तर स्वीकृति जिला कार्यकारिणी समिति से प्राप्त की जाएगी ।

v. नियोजन के संबंध में कोई आपत्ति नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी –सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति के नाम समर्पित की जाएगी, जिसका 30 दिनों के अंदर निपटारा किया जाएगा ।

(ङ.) व्यवसायिक अनुदेशिका को उपरी आयु में छूट एवं अधिभार :–

i. प्रारंभिक दौर में प्रत्येक कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में दैनिक आधार पर व्यवसायिक अनुदेशिका (पूर्व पदनाम "अंशकालिक शिक्षिका") का प्रावधान था, जिन्हें प्रतिदिन रू 400/– की दर से माह में अधिकतम 22 दिन तक रखा जा सकता है। अनुदेशिकाओं को विभिन्न पृष्ठभूमि यथा Art & Craft, Physical, Music, Vocational Trained होनी चाहिए ।

ii. वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मियों की मान्यता प्राप्त नहीं है, अतएव उन्हें वेतन मद से भुगतान न कर "व्यवसायिक प्रशिक्षण" अंतर्गत स्वीकृत बजट से भुगतान किया जा रहा है ।

iii. दिनांक–05/09/2011 के प्रभाव से व्यवसायिक अनुदेशिकाओं के नियोजन पर रोक लगायी जा चुकी है तथा जैसे–जैसे कार्यरत व्यवसायिक अनुदेशिकाओं के पद रिक्त होंगे, वे स्वतः विलोपित होते जायेंगे ।

iv. वर्तमान में कार्यरत जो व्यवसायिक अनुदेशिकाऍ अंशकालिक शिक्षिका की योग्यता धारण करती हों तथा उक्त पद पर कार्य करने को इच्छुक हों, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्षों की छूट दी जाएगी । साथ हीं राज्य कार्यकारिणी समिति की 83वीं बैठक के निर्णयानुसार इन अनुदेशिकाओं को अंशकालिक शिक्षिका की नियुक्ति प्रक्रिया में अधिभार (1 वर्ष के कार्य अनुभव के लिए पॉच अंक एवं अधिकतम 25 अंक) दिया जायेगा ।

5. मानदेय एवं अवकाश

i. कर्मियों को साल में अधिकतम 30 दिनों का अवकाश देय होगा । इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष में अधिकतम 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा । संबद्व मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जायेंगे । महिला कर्मियों को 90 दिनों का सवैतनिक मातृकावकाश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जो अधिकतम दो बच्चों तक मान्य होगा ।

ii. जिला कार्यालय/संचालक के द्वारा कार्मिकों का वेतन भुगतान अनिवार्य रूप से उनके व्यक्तिगत बचत खाते में अंतरण के माध्यम से किया जाएगा । नगद या चेक के माध्यम से वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा ।

iii. सभी कर्मियों को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा समय–समय पर यथा पुनर्निर्धारित/संशोधित वेतन देय होगा ।

iv. वार्डेन–सह–शिक्षिका, सभी अंशकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया को चौबीस घंटे छात्रावास में रहना होगा । लेखापाल, अनुसेवक एवं रात्रि प्रहरी अपने निर्धारित अवधि में प्रतिदिन छात्रावास के कार्यों का संपादन करेंगे । KGBV टाईप–4 में चौकीदार/रात्रि प्रहरी के दो पदों में चक्रानुसार एक दिन में एवं दूसरा रात्रि में कार्य करेंगे ।

6. अनुबंध का नवीकरण

i. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कर्मियों का नियोजन अनुबंध के आधार पर तीन वर्ष या योजना समाप्ति की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा ।

ii. कर्मियों के सेवावधि की अधिकतम आयुसीमा 60 वर्ष होगी ।

iii. तीन वर्ष की अवधि पूरा होने के एक माह पूर्व कर्मियों की संतोषपूर्ण सेवा की समीक्षा जिला नियोजन समिति की बैठक में की जाएगी तथा संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अगले तीन वर्ष हेतु कर्मियों के अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा। समिति के निर्णय की सूचना सदस्य सचिव के द्वारा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से दी जाएगी तथा सेवावधि विस्तार संबंधी पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किए जायेंगे ।

iv. वार्डेन को छोड़ शेष कर्मियों के संतोषप्रद कार्य एवं अवधि विस्तार की अनुशंसा वार्डेन एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा वार्डेन के संतोषप्रद कार्य एवं अवधि विस्तार की अनुशंसा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला जेण्डर समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।

v. कर्मियों को कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय से स्वेच्छापूर्वक सेवा त्याग की स्थिति में कम से कम एक माह की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनसे एक माह का मानदेय वसूलनीय होगा ।

vi. असंतोषजनक सेवा की स्थिति में जिला नियोजन समिति के द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि के दौरान कभी भी उनका अनुबंध विखंडित किया जा सकता है ।

vii. जिला नियोजन समिति द्वारा किसी कर्मी के अनुबंध विखंडन के निर्णय के विरूद्ध उनके द्वारा जिला कार्यकारिणी समिति के समक्ष 15 दिनों के अंदर अपील की जा सकेगी। अपील अभ्यावेदन जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति को संबोधित होगा ।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्....................(जिला का नाम)

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट आकार का हाल में खिंचवाया हुआ अभ्यर्थी का रंगीन फोटो

1. पद का नाम :–
2. आवेदक/आवेदिका का नाम :–

   हिन्दी में :–

   अंग्रेजी (Capital letter) में:–
3. पिता/पति का नामः–
4. स्थायी पता :–
5. पत्राचार का पता :–
6. स्थायी निवास वाले राज्य का नाम :–
7. जन्म तिथि :–

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

8. दिनांक 01.08.2021 को आयु :–

वर्ष	माह

9. विकलांगता की स्थिति (सिर्फ 40% या अधिक के लिए) (✓ करें) :– हॉ ☐ नहीं ☐

   (दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित/अस्थि निःशक्त)
10. यदि हॉ, तो विकलांगता का प्रतिशत :–
11. कोटि (✓ करें) :– अनु0 जाति ☐ अनु0 जनजाति ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐

    पिछड़ा वर्ग ☐ पिछड़े वर्ग की महिला ☐ सामान्य ☐

d/pksir13/notesheet

12. लिंग (✓ करें) :– महिला ☐ पुरूष ☐

13. वैवाहिक स्थिति (✓ करें) :– विवाहित ☐ अविवाहित ☐

14. दूरभाष / मोबाईल नं0 :– ☐

15. शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता :–

योग्यता	विद्यालय / कॉलेज का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	कुल प्राप्तांक	पूर्णांक	% प्राप्तांक	लिए गए विषय

16. योग्यतानुसार आवेदक की श्रेणी (सिर्फ वार्डेन / अंशकालिक शिक्षिका पद हेतु) (✓ करें) :–

i. प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण / 2 वर्षीय D. El. Ed. / बी0एड0 एवं टी0ई0टी0 उत्तीर्ण ☐

ii. टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी ☐

iii. प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण / 2 वर्षीय D. El. Ed. / बी0एड0, परंतु टी0ई0टी0 उत्तीर्ण नहीं ☐

iv. बिना टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी ☐

17. अभ्यर्थी यदि टी0ई0टी0 उत्तीर्ण हैं, तो उत्तीर्णता का वर्ष ☐

18. कार्य का अनुभव (यदि कोई हो) :–

क्रम सं0	संस्था का नाम एवं पता	पद का नाम	प्राप्त कुल वेतन / मानदेय	कार्य अवधि		कुल कार्यावधि (माह में)
				कब से	कब तक	

19. परीक्षा शुल्क :– रू. ....

डिमाण्ड डाफ्ट नं0 :– ....

बैंक का नाम एवं शाखा :– ....

ड्राफ्ट निर्गत की तिथि :– ....

20. चयन की स्थिति में क्रमानुसार प्रखंडों का विकल्प :–

(जिला कार्यालय द्वारा "कोष्ठक" में रिक्त पद वाले प्रखंडों एवं KGBV टाईप के नाम अंकित किया जाय)

क्रम सं0	प्रखंड का नाम	टाईप–I एवं IV दोनों में रिक्ति की स्थिति में के0जी0बी0वी0 टाईप का नाम

21. आवेदक / आवेदिका की घोषणा :–

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित एवं घोषित करता / करती हूँ कि :–

i. मैंने कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में कर्मी के चयन संबंधी प्रावधानों / निदेशों को पढ़ लिया है।

ii. आवेदन पत्र में भरे गए सारे विवरण / सूचनाऍ मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य पूर्ण और सही हैं। कोई भी सूचना या इसकी कोई भाग लिखित परीक्षा / साक्षात्कार या चयन से पूर्व या बाद में असत्य एवं गलत पाए जाने पर जिला चयन समिति द्वारा मेरे विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है और मेरी उम्मीदवारी / चयन स्वतः ही रद्द / समाप्त हो जाएगी।

iii. मैं दिनांक–01.08.2021 के आधार पर आवेदित पद के लिए निर्धारित आयु, शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता / करती हूँ और मैंने संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न कर दिया है।

स्थान :–

तिथि :– आवेदक / आवेदिका का पूरा हस्ताक्षर

d/pksir13/notesheet